संख्या-66/2023/।/312268/001-71-2099-1162-2020

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 08 मई, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के द्वितीय मेनगेट, सड़क एवं पार्किंग के निर्माण कार्यों हेतु तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल/अभि/एन0बी0-105/2017/159/2023, दिनांक 26.04.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, वित्तीय वर्ष 2023-24 में संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के मेनगेट, सड़क एवं पार्किंग के निर्माण कार्यों हेतु अवशेष धनराशि रू0 519.31 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ रोड पर द्वितीय मेगनेट, सड़क एवं पार्किंग के निर्माण कार्यों हेतु शासनादेश संख्या-62/2021/1/70320/202-71-2099/1162/ 2020, दिनांक 14.06.2021 द्वारा धनराशि 1035.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि रू0 258.00 लाख एवं द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 258.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 516.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के द्वितीय मेगनेट, सड़क एवं पार्किंग के निर्माण कार्यों हेतु तृतीय किश्त की धनराशि रू0 258.00 लाख (रू0 दो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करोड़ अठावन लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे-हाईमास्टक लैम्पे, साइनेज आदि बाट-आउट श्रेणी के है। कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें।
2. प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिडयूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेशिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निदेशक, संस्थान द्वारा निर्माण् के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।
3. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित सी0सी0टी0वी0 कैमरा तथा वाटर (कूलर एवं यू0बी0 प्यूरीफायर) को अनुमन्य नहीं किया गया है। इसके लिये पृथक से प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागतका अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, संस्थान का होगा।
5. अवमुक्त धनराशि आहरण एवं व्ययय आवश्यकातानुसार किया जायेगा। स्वीकृति धनराशि को आहरित कर बैक खातेडाकघर आदि में नहीं रखा / जायेगा।
6. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है/, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।/
7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि (डुप्लीकेसी) से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्ययोजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था की होगी।

9. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ का होगा ।
10. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धोंनिर्देशों -दिशा/ के अनुपालन का दायित्वि संस्थ्ान के वित्त नियंत्रक का होगा।
12. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जाएगा।
13. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
14. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है/, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जाएगा।/
15. कार्यदायी संस्था को 03 माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निदेशक संस्थानवित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्वत होगा कि / धनराशि को कोषागार से आहरण कर03-03 माह की आवश्याकतानुसार ही किया जाए।
16. पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-62/2021/1/70320/202-71-2099/1162/ 2020, दिनांक 14.06.2021 की शर्ते एवं प्रतिबन्धत यथावत रहेंगी।
17. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,58,00,000 (रुपये दो करोड़ अट्ठावन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-66/2023/।/312268/001-71-2099-1162-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. परियोजना प्रबन्धक, कान्ट्क्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्यकयक) अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।